23

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (लोक सभा) संबंधी समिति के कार्यकरण संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह संविधान, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम और प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णयों और विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी संपूर्ण नहीं है। अत:, पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा)

संसद सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पूंजीगत स्वरूप के छोटे-छोटे कार्य किये जाने के लिए प्राय: संपर्क करते हैं। इस आवश्यकता पर विचार करते हुए, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 23 दिसम्बर, 1993 को संसद में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की। इस योजना को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। अद्यतन दिशानिर्देश अगस्त, 2012 में जारी किये गये थे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक अधिकृत निधि पांच करोड़ रुपये है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करने पर बल देते हुए स्थानीय रूप से महसूस की गई सामुदायिक अवसंरचना और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्त कार्य अनुबंध में दिये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों को छोड़कर, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमेय हैं। संसद सदस्य पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और

1

सड़कों से संबंधित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थायी परिसंपत्तियों का योजना के अंतर्गत सृजन करने के लिए कार्यों का चयन कर सकते हैं।

इस योजना के कार्यान्वयन में कार्यनिष्पादन और समस्याओं की निगरानी और समीक्षा करने के लिए लोक सभा अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 254(1) के अंतर्गत पहली बार 22 फरवरी, 1999 को एक तदर्थ समिति अर्थात् संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का गठन किया।

रचना

2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति एक तदर्थ समिति है जिसमें 24 सदस्य होते हैं जिन्हें एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए समिति में कार्य करने हेतु लोक सभा के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

सभापति की नियुक्ति

3. समिति के/की सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।

मंत्री समिति का/की सदस्य नहीं होगा/होगी

4. कोई भी मंत्री समिति का/की सदस्य नहीं होगा/होगी और यदि कोई सदस्य समिति में अपने नामनिर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाता/जाती है, तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

कृत्य

5. लोक सभा की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के कृत्य इस प्रकार हैं:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में कार्यनिष्पादन और समस्याओं की आवधिक रूप से निगरानी और समीक्षा करना;

(ख) योजना के संबंध में लोक सभा के सदस्यों की शिकायतों पर विचार करना; और

(ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाएं।

लोक सभा की अन्य संसदीय समितियां, जिनमें विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां भी शामिल हैं, यथासंभव ऐसे विषयों पर

विचार नहीं करेंगी जो इस समिति को विशिष्ट रूप से सौंपे जाते हैं।

जांच के लिए विषयों का चयन

6. अपनी रचना के पश्चात् होने वाली समिति की पहली बैठक में समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में जांच के लिए विषयों, यदि कोई हों, का चयन करती है। सामान्यतः, समिति इस योजना से संबंधित मामलों पर संसद सदस्यों की शिकायतों/सुझावों/अभ्यावेदनों पर वर्ष के दौरान विचार करती है।

सरकार से सूचना मंगाना

7. समिति जांच के लिए चुने गए विषयों या शिकायतों/सुझावों/अभ्यावेदनों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्रारंभिक जानकारी/टिप्पणियां/सामग्रियां मंगाती है। मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि/प्रारंभिक जानकारी/सामग्री पर आधारित विस्तृत प्रश्नों की सूची, जिसमें जांचाधीन विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हुए तैयार कर लिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय/विभाग के पास भेजा जाता है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों आदि से ज्ञापन

8. समिति जांचाधीन विषय पर गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों, आदि जो संगत क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, से ज्ञापन भी मंगा सकेगी।

अध्ययन दल/उप-समिति का गठन

9. समिति चुने गए विषयों की गहन जांच करने के लिए समय-समय पर एक अथवा उससे अधिक उप-समितियों/अध्ययन दलों की रचना कर सकती है। समिति के पिछले प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही की संवीक्षा के लिए एक उप-समिति भी गठित कर सकती है। उप-समिति/अध्ययन दल के संयोजक का नामनिर्देशन उप-समिति/अध्ययन दल के सदस्यों में से समिति के सभापति द्वारा किया जाता है।

अध्ययन दौरे

10. समिति जांच के अधीन विषय (विषयों) के संबंध में विभिन्न स्थानों के अध्ययन दौरे/भ्रमण और/अथवा योजनाओं के कार्यान्वयन तथा मानीटरन का मूल्यांकन करने के लिए तत्स्थानिक दौरे कर सकेगी। समिति ऐसे अध्ययन दौरों के दौरान योजना के कार्यान्वयन/मानीटरन के संबंध में अधिकारियों से बातचीत भी करती है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों आदि का साक्ष्य

11. समिति/उप-समिति उन व्यक्तियों, विशेषज्ञों/गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने जांच के अधीन विषयों पर ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं, अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकेगी।

5

अधिकारियों का साक्ष्य

12. विषय/शिकायत/सुझाव/अभ्यावेदन की विस्तृत जांच के लिए समिति विषय पर लिखित जानकारी की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेती है। कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा जाता है।

मंत्रियों को समिति के समक्ष न बुलाया जाना

13. मंत्री को समिति द्वारा विषयों की जांच के संबंध में साक्ष्य देने तथा परामर्श करने के लिए समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाएगा।

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

14. किसी विषय/शिकायत/सुझाव/अभ्यावेदन पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें इसके प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट हैं—जिसे समिति द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् सभापति या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जाते हैं।

समिति के प्रतिवेदन सदस्यों की सहमति से स्वीकार किये जाते हैं। तद्नुसार, प्रतिवेदन के साथ असहमति-पत्र लगाने की कोई व्यवस्था नहीं होती।

प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्यवाही

15. लोक सभा को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को अग्रेषित किया जाता है जिससे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर कार्यवाही कर तीन माह के भीतर उस पर की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-कार्यवाही टिप्पणियों की समिति अथवा इस प्रयोजन के लिए गठित उप-समिति द्वारा जांच की जाती है और समिति के की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किये जाते हैं और अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को अग्रेषित किये जाते हैं। की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

[संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का गठन और कार्यकरण लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 253 से 286 और अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 48 से 73 से नियंत्रित हैं।]

7

अनुबंध

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों की सूची

(1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार)

1. केन्द्रीय और राज्य सरकारों, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कार्यालय और आवासीय भवन। तथापि, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के पैरा 3.35 और 3.35.1 के प्रावधानों के अध्यधीन रेल हाल्ट स्टेशन के निर्माण कार्य की अनुमति होगी।
2. निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबंधित कार्यालय और आवासीय भवन तथा अन्य कार्य।
3. वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/इकाइयों के समस्त कार्य।
4. किसी भी प्रकार के समस्त अनुरक्षण कार्य। तथापि, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के पैरा 3.32 के प्रावधान के अध्यधीन हैंड-पम्प के लिए बोर करने के कार्य की अनुमति होगी।
5. सभी नवीकरण और मरम्मत कार्य (तथापि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आवश्यक जीवनोपयोगी भवनों जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय तथा आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग होने वाले सार्वजनिक भवनों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उपलब्ध विशिष्ट अनुमति से विरासत और पुरातत्व स्मारकों और भवनों की मरम्मत और नवीकरण के कार्यों हेतु अनुमति दी जाएगी।)
6. किसी भी केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राहत निधि में अनुदान और ऋण, अंशदान।

7. किसी भी व्यक्ति के नाम की परिसंपत्तियां।
8. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशानिर्देशों के परिशिष्ट-दो-क में दी गई मदों को छोड़कर सभी चल मदों की खरीद।
9. भूमि का अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा।
10. किसी भी प्रकार की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों अथवा मदों की प्रतिपूर्ति।
11. व्यक्ति/परिवार के लाभों के लिए परिसंपत्तियां तथापि, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा संख्या 3.28 और 3.28.1 के अनुसार तिपहिया साइकिल (जिसमें अन्य रूप से सक्षम पात्र लोगों के लिए मोटर वाली तिपहिया साइकिल, कृत्रिम अंग और बैटरी चालित मोटर वाली व्हील-चेयर) स्वीकार्य है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का उपयोग उन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए भी किया जा सकेगा जिसमें परिवार विशेष के लिए परिसंपत्तियां प्रदान की जानी हों बशर्ते इसके लिए संसद सदस्य प्राथमिकता सूची में अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजना में अंतर्विष्ट चयन के मानदंडों में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संसद सदस्य किसी व्यक्ति विशेष को लाभार्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं कर सकेगा/सकेगी किन्तु ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को नामित कर सकेगा जहां पर इस संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का व्यय किया जाएगा।
12. सभी राजस्व और आवर्ती व्यय।
13. धार्मिक पूजा संबंधी स्थानों के भीतर तथा धार्मिक आस्था/संगठन से संबंधित अथवा उनके स्वामित्व वाली जमीन से जुड़े कार्य।
14. स्वागत द्वारों का निर्माण।
15. अनधिकृत बस्तियों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन कार्यों का निष्पादन।

9